



राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

☎ : 0141-2385027(O), & E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.4() PRD / DP / PPC / 2025-26 / 70273

जयपुर, दिनांक :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-समस्त।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति-समस्त।

विषय:- Reform उत्सव-2026 दौरान जन योजना अभियान (PPC) वर्ष 2027-28 हेतु दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजन के दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- विभागीय पत्रांक 24722088 दिनांक 26.09.2026, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11015/355/2026-CB, दिनांक 28.09.2026, एवं MoPR वी.सी. दिनांक 29.09.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष-2018 से जन योजना अभियान (PPC) "सबकी योजना, सबका विकास" का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों में सहभागी, समावेशी, साक्ष्य-आधारित एवं अभिसरण (Convergence) पर आधारित पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) का प्रभावी निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना है।

इस क्रम में ग्रामीण विकास, कृषि, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण, भू-प्रबन्ध, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता, राजस्व, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला अधिकारिता और बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवाएं, शिक्षा इत्यादि विभागों फील्ड अधिकारियों से समन्वय कर स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को सम्मिलित करते हुए पंचायत विकास योजना (PDP) तैयार की जानी है।

Reform उत्सव-2026 दौरान दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजन कर जन योजना अभियान (PPC) वर्ष 2027-28 के निर्माण में जनप्रतिनिधियों, पंचायत कार्मिकों, संबंधित विभागों, SHGs एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए-

- विशेष ग्राम सभा का आयोजन
- सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2026.09.29 20:49:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24783354

M e-Sign



- केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण (Convergence)
- GPDP, BPDP एवं DPDP का समयबद्ध निर्माण
- नोडल अधिकारी एवं सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति
- अधिकारियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन हेतु TMP पोर्टल पर PPC प्रशिक्षण पब्लिश करना।
- ग्राम सभा जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करना
- नागरिक-केंद्रित योजनाओं एवं सुधारों का प्रचार-प्रसार

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को समस्त ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों में प्रेषित करते हुए 02 अक्टूबर, 2026 की विशेष ग्राम सभा में **Reform उत्सव-2026 के दौरान 7 विभागों की 13 गतिविधियों के आमजन को मिलने वाले लाभ एवं लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान के साथ** PPC 2026-27 के प्रभावी, सहभागी, अभिसरण-आधारित एवं साक्ष्य-आधारित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित गतिविधियों की प्रगति से संबंधित सूचना/प्रगति निर्धारित प्रारूप में विभाग की ई-मेल आई.डी.-rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की Joint Advisory की प्रति।
- PPC 2026-27 की संभावित समय-सीमा एवं संबंधित दिशा-निर्देश।
- 02 अक्टूबर की ग्राम सभा के दौरान भारत सरकार के निर्देशों का Reform उत्सव-2026 प्रस्तुतिकरण।
- ग्राम सभा में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पढ़े जाने हेतु Reform उत्सव-2026 के लिए भारत सरकार से प्राप्त नोट।

(डॉ० जोगा राम)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
3. जिला कलक्टर, जिला-समस्त।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद्-समस्त।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2026.09.29 20:49:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24783354

M e-Sign